प्रेस विज्ञप्ति

30.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 26.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 18 नए जोड़े गए आरोपियों के खिलाफ तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें 15 व्यक्ति, 2 कंपनियां और एक प्रोपराइटरशिप फर्म शामिल हैं, जो ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, अर्थात् ई-नगेट्स से संबंधित जाँच के संबंध में है। ये व्यक्ति/फर्म/कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। माननीय न्यायालय ने 26.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने फेडरल बैंक द्वारा विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता की अदालत में दायर शिकायत के आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला है कि आमिर खान, पुत्र नेसार अहमद खान और उनके अन्य सहयोगी ई-नगेट्स नामक एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए जनता से इस ऐप के जरिए किए गए निवेश पर अधिक रिटर्न/कमीशन कमाने का झांसा देकर पैसे इकट्ठा करने में शामिल थे। इस ऐप को जनता को ठगने के मकसद से बनाया गया था। इसके अलावा, जनता से करोड़ों रुपये की मोटी रकम इकट्ठा करने के बाद, अचानक, विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने सहित एक या अन्य बहाने बनाकर उक्त ऐप से निकासी बंद कर दी गई। अंत में, उपयोगकर्ताओं की प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उक्त ऐप सर्वर से मिटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसके उपयोगकर्ताओं ने अपने जमा किए गए पैसे गँवा दिए।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति सैकड़ों खच्चर खाते(म्यूल अकाउंट) खोलने, कई प्रोपराइटरशिप फर्मों और कंपनियों को खोलने में शामिल थे, जिनका इस्तेमाल जनता से धन इकट्ठा करने और आगे की लेयरिंग, लॉन्ड्रिंग और डायवर्सन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में किया गया था, जो अंततः उनके नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था। की गई जाँच से यह भी पता चला है कि ई-नगेट्स मोबाइल गेमिंग ऐप के माध्यम से जनता से धन एकत्र करने के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग क्रिप्टो मुद्राओं सहित चल / अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए भी किया गया था।

जांच के दौरान, 163 करोड़ रुपये की चल / अचल संपत्तियों को कुर्क / जब्त / फ्रीज किया गया, जिसमें 19 करोड़ रुपये की नकद राशि, 52 करोड़ रुपये का खाता शेष, 90 करोड़ रुपये मूल्य

की क्रिप्टो मुद्राएं और 2.11 करोड़ रुपये मूल्य का कार्यालय स्थान के रूप में अचल संपत्ति शामिल है।

जाँच के दौरान, आमिर खान और रोमेन अग्रवाल सहित बीस (20) आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत और तीन पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, आरोपी आमिर खान और रोमेन अग्रवाल के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।